

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-04 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, E mail - ctd.cg@nic.in, yuvacarriernirman@gmail.com

क्रमांक / GENCOR/15045/2025-CGACE

नवा रायपुर, अटल नगर

// विज्ञप्ति //

CG-Assistant for Competitive Examination (CG-ACE) योजना 2026 के "शिखर (भाग-2) "अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण बिलासपुर शहर में कराने के लिए इच्छुक संस्थाओं के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण वर्ष 2026

CGACE योजना 2026 के "शिखर (भाग-2) "अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाम मूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग की योजना है। **बिलासपुर** हेतु 110 सीट के लिए कोचिंग कार्य हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है।

कोचिंग संस्था को **02 वर्ष** के लिए इम्पैनल किया जायेगा तथा इस अवधि में कोचिंग संस्था द्वारा अनुबंधित प्रशिक्षण दर पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देना होगा। विशिष्ट परिस्थिति में संस्थाओं का इम्पैनलमेंट अधिकतम एक वर्ष/सत्र हेतु और बढ़ाया जा सकेगा।

कोचिंग संस्था से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन:-

प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन QCBS (Quality Cum Cost Based Selection) पद्धति से गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन हेतु 70 प्रतिशत वेटेज तथा मूल्य/दर के लिए 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर संयुक्त मूल्यांकन में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता का इम्पैनलमेंट किया जायेगा। इम्पैनलमेंट के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

अमानत राशि:- संस्था अमानत राशि (एफ.डी.आर.) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पक्ष में हो, मूल प्रति कार्यालय में जमा करें, जो निम्नानुसार होगी:-

क	जिला	कुल स्वीकृत सीट				अमानत राशि
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (संभावित)	योग	
1	बिलासपुर	50	30	30	110	रुपये 1.50 लाख

यह अमानत राशि इम्पैनलमेंट पूर्ण होने के पश्चात् सफल संस्था को छोड़कर शेष को वापस लौटा दी जायेगी।

// 02 //

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं दिनांक 30.11.2026 तक बंद लिफाफें में कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक—डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में प्रस्तुत करना होगा।

योजना नियम की विस्तृत जानकारी, अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट के <https://eklavya.cg.nic.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।

Digitally signed by
DHARMULA RAHUL VENKAT
Date: 29-10-2026 17:03:52

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

CG-Assistant for Competitive Examination (CG-ACE) योजना 2026 के “शिखर (भाग-2)” अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण बिलासपुर शहर में कराने के लिए इच्छुक संस्थाओं के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण वर्ष 2026

भाग-1

कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम आर्हता संबंधी अभिलेख

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेखों का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ कम्पनीज एक्ट 2013 सेक्शन-8/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मान्य एक्ट में पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	(i) संस्था का वैद्य/मान्य पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नंबर अनिवार्य होना चाहिए, छायाप्रति संलग्न करें। (ii) छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.टी. (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। कार्य प्राप्त होने पर छ.ग. के GSTN से ही बिलिंग किया जाना होगा।	
3.	(i) पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से विगत तीन वर्षों (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करे। (ii) माह अप्रैल 2026, मई 2026, जून 2026 का जमा किये गये जी.एस.टी. का विवरण (सत्यापित अभिलेख)। (iii) उक्त 03 वर्षों (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) की आयकर रिटर्न (IT RETURN) की सत्यापित प्रति।	
4.	कोचिंग संस्था/फर्म/कंपनी का कोचिंग संबंधी कार्यों का सकल टर्न ओव्हर न्यूनतम राशि रुपये 50.00 लाख वार्षिक होना चाहिए, दस्तावेज संलग्न करें। (टर्न ओव्हर में संस्था द्वारा प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग कार्यों का विवरण होना चाहिए। संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए।)	

संस्था के टर्न ओव्हर संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता का आडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर प्रशासनिक सिविल सेवाओं के कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

Signature of Statutory Auditor
With Seal
UDIN NO.

संस्था का सामान्य परिचय

1. (अ) कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने :
- हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है,
- विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का
- क्रमांक एवं दिनांक
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनी के अंतर्गत संचालित है तो :—
- (अ) समिति/कंपनी का नाम :
- (ब) समिति/कंपनी के कार्यालय :
- का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
4. (अ) समिति/कंपनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है :
- (पूर्ण विवरण देंगे) :
- (ब) समिति/कंपनीका एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक :
- (स) समिति/कंपनी का वैद्यता दिनांक :
- (द) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
- (इ) समिति/कंपनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
- (फ) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, :
- सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता :
- मोबाईल नंबर सहित :
5. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :—
- (अ) इन्चार्ज का नाम :
- (ब) शैक्षणिक अर्हता :
- (स) अनुभव :

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

भाग-2**कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विवरण**

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें																																														
1.	<p>(I)कोचिंग हेतु उपलब्ध भवन संस्था/फर्म के स्वामित्व को हो अथवा किराये का हो। यदि किराये का भवन है तो किराये का विधि पूर्वक अनुबंध निष्पादित किया होना चाहिए एवं कोचिंग संस्था आवासीय परिसर से पृथक व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।</p> <p>(II) प्रशिक्षण केन्द्र (भवन) का कारपेट एरिया (न्यूनतम 3000 वर्ग फीट होना चाहिए।)</p> <p>(III) न्यूनतम 02 डिजिटल सुविधायुक्त स्मार्ट क्लास रूम होना चाहिए। प्रत्येक की क्षमता कम से कम 50 विद्यार्थियों की होनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर (टेबल कुर्सी आदि) सुविधाजनक तरीके से स्थापित होनी चाहिए।</p> <p>(IV) कोचिंग संस्था में सुव्यस्थित पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए, जहां कम से कम 50 विद्यार्थी एकसाथ बैठक कर अध्ययन कर सकें।</p> <p>(V) विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्था में नवीनतम संस्करण के कम से कम 10 कम्प्यूटर चालू हालत में स्थापित होने चाहिए।</p> <p>(VI) कोचिंग संस्था के पास प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुरूप पार्किंग का पर्याप्त स्थान होना चाहिए।</p> <p>(VII) भवन में महिला एवं पुरुष के लिए कम से कम पृथक-पृथक 02-02 वॉशरूम होना चाहिए।</p> <p>(VIII) भवन में शुद्ध पेयजल के लिए आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर की व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>(IX) प्रशिक्षण केन्द्र हवादार एवं प्रकाश युक्त होनी चाहिए।</p> <p>(X) प्रशिक्षण केन्द्र वातानुकूलित होना चाहिए।</p> <p>(XI) प्रशिक्षण कक्ष साफ-सुथरा होना चाहिए।</p> <p>((XII) प्रशिक्षण केन्द्र दिव्यांग के अनुकूल होना चाहिए।</p> <p>(XIII) संस्था में विगत 03 वर्षों (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 150 अभ्यर्थी प्रवेशित होना चाहिए। (प्रत्येक वर्ष का 01-01 अंक, अधिकतम 03 अंक)</p>	अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक बिंदु का 01-01 अंक)																																														
2	<p>(I) फैकल्टी का संपूर्ण विवरण (अनिवार्य 05 शिक्षक) :- (अधिकतम 10 अंक)</p> <table><tr><th>क्र.</th><th>फैकल्टी का नाम</th><th>पिता/पति का नाम</th><th>मूल निवास का पता</th><th>वर्तमान निवास का पता</th><th>शैक्षणिक अर्हता (स्नातक/स्नाकोत्तर/ अन्य उच्च डिग्री)</th><th>रिमार्क</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <table><tr><th>क्र</th><th>विषय</th><th>अनिवार्य न्यूनतम योग्यता</th></tr><tr><td>1</td><td>गणित एवं तार्किक शक्ति</td><td>एमएससी (गणित)/एमई/एमटेक</td></tr><tr><td>2</td><td>भाषा</td><td>एमए (हिन्दी/छत्तीसगढ़ी)</td></tr><tr><td>3</td><td>मानविकी संकाय</td><td>एमए (इतिहास/दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र/ अर्थशास्त्र/राजनीतिक शास्त्र/मानव विज्ञान/ भूगोल एवं समतुल्य)</td></tr><tr><td>4</td><td>विज्ञान संकाय</td><td>एमएससी (वनस्पति विज्ञान/प्राणी शास्त्र)</td></tr><tr><td>5</td><td>समसमायिकी</td><td>किसी भी विषय मे स्नातकोत्तर</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">कोचिंग संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रत्येक विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है। विषय विशेषज्ञ संबंधित विषय में कम से कम मास्टर डिग्रीधारी होने चाहिए। प्रत्येक अनिवार्य शिक्षक के 03 अंक दिये जायेगे।एक या एक से अधिक बार स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर नंबर केवल एक ही बार जोड़ा जायेगा।समय-समय पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकशित विज्ञप्ति में पाठ्यक्रम अनुसार विषय शामिल करना होगा।	क्र.	फैकल्टी का नाम	पिता/पति का नाम	मूल निवास का पता	वर्तमान निवास का पता	शैक्षणिक अर्हता (स्नातक/स्नाकोत्तर/ अन्य उच्च डिग्री)	रिमार्क																						क्र	विषय	अनिवार्य न्यूनतम योग्यता	1	गणित एवं तार्किक शक्ति	एमएससी (गणित)/एमई/एमटेक	2	भाषा	एमए (हिन्दी/छत्तीसगढ़ी)	3	मानविकी संकाय	एमए (इतिहास/दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र/ अर्थशास्त्र/राजनीतिक शास्त्र/मानव विज्ञान/ भूगोल एवं समतुल्य)	4	विज्ञान संकाय	एमएससी (वनस्पति विज्ञान/प्राणी शास्त्र)	5	समसमायिकी	किसी भी विषय मे स्नातकोत्तर	अधिकतम 15 अंक
क्र.	फैकल्टी का नाम	पिता/पति का नाम	मूल निवास का पता	वर्तमान निवास का पता	शैक्षणिक अर्हता (स्नातक/स्नाकोत्तर/ अन्य उच्च डिग्री)	रिमार्क																																										
क्र	विषय	अनिवार्य न्यूनतम योग्यता																																														
1	गणित एवं तार्किक शक्ति	एमएससी (गणित)/एमई/एमटेक																																														
2	भाषा	एमए (हिन्दी/छत्तीसगढ़ी)																																														
3	मानविकी संकाय	एमए (इतिहास/दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र/ अर्थशास्त्र/राजनीतिक शास्त्र/मानव विज्ञान/ भूगोल एवं समतुल्य)																																														
4	विज्ञान संकाय	एमएससी (वनस्पति विज्ञान/प्राणी शास्त्र)																																														
5	समसमायिकी	किसी भी विषय मे स्नातकोत्तर																																														

(II) अनिवार्य 05 शिक्षकों के अनुभव का विवरण:-					अधिकतम 20 अंक	
क्र.	शिक्षक का नाम	अध्यापन का विषय	सीजीपीएससी कोचिंग का अनुभव			
			अनुभव का वर्ष	संस्था का नाम		
1						
2						
3						
4						
5						
<ul style="list-style-type: none">• कम से कम 05 वर्षों के प्रशिक्षण देने का अनुभव होना चाहिए।• अंको की गणना उपरोक्त 5 शिक्षकों को प्राप्त अंको के औसत के आधार पर किया जायेगा। (प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम 05 वर्ष के अनुभव पर 10 अंक एवं अधिक अनुभव पर प्रतिवर्ष 02 अंक, अधिकतम 20 अंक)• कोचिंग प्रदाय करने वाले सभी अनिवार्य शिक्षकों का बायोडाटा तथा अंक सूची/डिग्री की कोचिंग संस्था प्रमुख तथा संबंधित शिक्षक द्वारा संयुक्त सत्यापित (छायाप्रति) संलग्न किया जाये। अधूरे एवं अस्पष्ट दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा, न ही अंक प्रदाय किया जायेगा।						
3	कार्यालयीन स्टॉफ:- (I) कोचिंग संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पडेस्क स्थापित होना चाहिए, जिसमें 02 कर्मचारी (01 महिला एवं 01 पुरुष) नियुक्त होना चाहिए,					अधिकतम 03 अंक (प्रत्येक बिंदु का 01-01 अंक)
	क्र.	कर्मचारी का नाम	योग्यता			
	1					
	2					
	(II) कोचिंग संस्था में साफ-सफाई व्यवस्था हेतु पर्याप्त स्टॉफ होना चाहिए। (III) मेडिकल इमरजेंसी के लिए तत्कालिक दवाईयां एवं अनुबंधित चिकित्सक भी होना चाहिए। (एमबीबीएस चिकित्सक/चिकित्सालय के साथ जीवित अनुबंध की जानकारी संलग्न करे।)					
4	सुरक्षा व्यवस्था :- (I) 50 विद्यार्थियों के मान से 02 सुरक्षा गार्ड, (01 पुरुष एवं 01 महिला) होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के कोचिंग में प्रवेश लेने पर न्यूनतम 01 महिला गार्ड होना अनिवार्य है।				अधिकतम 05 अंक (प्रत्येक बिंदु का 01-01 अंक)	
	क्र.	सुरक्षा गार्ड का नाम	योग्यता			
	1					
	2					
	(II) कोचिंग संस्था में क्षेत्रफल के अनुसार पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में स्थापित होना चाहिए। (कैमरा का एक्सेस संबंधित प्रशासकीय अधिकारी/विभागीय अधिकारी हो होना चाहिए, ताकि सतत निगरानी की जा सकें।) (III) अपात स्थिति से निपटने हेतु कोचिंग संस्था में पर्याप्त जीवित अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए) (IV) कक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रमाण की उपलब्धता/व्यवस्था की जानकारी। (V) भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र।					
5	अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं :- (I) कोचिंग संस्था में न्यूनतम 200 MBPS के वाई फाई इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। (II) कोचिंग संस्थान में कम से कम 05 KV का विद्युत व्यवस्था का विकल्प जैसे:- जनरेटर/इनवर्टर/सौर उर्जा स्थापित होना चाहिए।					अधिकतम 02 अंक (प्रत्येक बिंदु का 01-01 अंक)

6

प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम:-

कोचिंग संस्था से छ.ग. राज्य द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी:-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	संस्था में प्रवेशित वर्ष	संस्था में चयनित अभ्यर्थी द्वारा किये गये अध्ययन का नाम (प्रारंभिक परीक्षा / मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार)	छ.ग. राज्य द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा हेतु आवंटित रोल नं	अंतिम रूप से चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष	संलग्न अभिलेख
							2022-23	
							2023-24	
							2024-25	

नोट :-

- वर्षवार पृथक-पृथक कॉलम में जानकारी देवे। केवल ऐसे विद्यार्थी संस्था से प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए हैं, के अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को ही शामिल किया जाये। अंतिम रूप से चयन का प्रमाण हेतु राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अस्पष्ट एवं अधूरी जानकारी प्रदाय करने पर अंक नहीं दिया जायेगा।
- प्रति वर्ष 01 विद्यार्थी के अंतिम रूप से चयन पर 01 अंक, अधिकतम 10 अंक।
- प्रतिवर्ष प्राप्त अंकों का औसत अंक दिया जायेगा।

योग

70

**संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित**

अतिरिक्त अनिवार्य जानकारी:-

अनिवार्य 05 शिक्षकों के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के 01-01 अतिरिक्त शिक्षक (समकक्ष योग्यता वाले) की संपूर्ण जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र में प्रदाय करे, जिसे अनिवार्य शिक्षकों के अनुपस्थित रहने एवं आपात स्थिति में अध्यापन सतत् रखा जा सकें:-

क्र.	फैकल्टी का नाम	पिता/पति का नाम	मूल निवास का पता	वर्तमान निवास का पता	शैक्षणिक अर्हता (स्नातक/स्नाकोत्तर/ अन्य उच्च डिग्री)	रिमार्क

भाग-3

CG-Assistant for Competitive Examination (CG-ACE) योजना के “शिखर (भाग-2) ” अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण राज्य बिलासपुर शहर में कराने के लिए इच्छुक संस्थाओं के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण वर्ष 2026

(विज्ञप्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के संदर्भ में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का शहर	(राशि रुपये में)			
			प्रस्तावित राशि कर रहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष)		प्रस्तावित राशि समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष)	
			अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1.	राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण (कोचिंग), CG-ACE योजना वर्ष 2026 की कंडिका 4.5 में कोचिंग संस्था का दायित्वों सहित	बिलासपुर				

उपरोक्त दर या निगोशियेशन उपरांत दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

नोट:-

- राशि का भुगतान योजना नियम की कंडिका 3.1 “ योजना संचालन की विधि” के बिन्दु (iv) “ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय का भुगतान” अनुसार किया जायेगा।
- कोचिंग शुल्क पर होने वाला व्यय (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं स्टडी मटेरियल सहित)।

**संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित**

परिशिष्ट –01**पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र (वर्ष 2026–27)**
(50 रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक.....दिनांक के संबंध में हमारी फर्म/संस्था
.....पता.....
.....की ओर से मैंआत्मज.....पता.....
.....उम्र..... आधार क्रमांक..... फर्म में हैसियत (पद)से अधिकृत होकर नाम.....आत्मज.....
..... पूरा पताआधारक्रमांक.....को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित “विज्ञप्ति” के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया जाता है जो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

**फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी/फर्म के बॉयलॉज अनुसार
Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)**

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –02**कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration) (वर्ष 2026-27)**
(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी.....

पूरा पताकी ओर से मैं.....

..... (संचालक का नाम) आज दिनांक की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी के ऊपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण कर लिया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/इम्पैनलमेंट निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

**फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील**

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-03

संस्था/फर्म/कंपनी के स्वामी या स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की घोषणा (वर्ष 2026-27)

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

मैंफर्म के स्वामी/स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (अपनी स्थिति स्पष्ट लिखा जाए) हूँ और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा वर्ष 2026-27 में कोचिंग संस्था का चयन के संबंध में आवेदन पत्र के दर्शायी गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण/अभिलेख मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि अभिलेख/दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण एवं अद्यतन है तथा यह छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है।

3. मैं छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) CGACE योजना वर्ष 2026 एवं विज्ञप्ति में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर सहित

टीप :- प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए संस्था संचालक/संस्था प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।